केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/108 दिनांक: 12.04.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00102
CICOM/R/2016/01490

अपीलकर्ता : श्रीमती उर्वशी शर्मा,
द्वारा – श्री तनवरी अहमद सिद्दिकी,
सरवरी अपार्टमेंट, वलिंगटन कंपाउंड,
निकट – मेडवेल होस्पीटल, कैंट रोड, केसरबाग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001.

निर्णय की तारीख : 12.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.10.2016
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.12.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री जीवन चंद्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	104867/24.01.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	118/05.04.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सोलह बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री जीवन चंद्रा, अनुभाग अधिकारी (एम.एंड आर.) व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. अपीलकर्ता यह गैरदिनांकित प्रथम अपीली जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 24.01.2017 को डायराइज हुआ तथा डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 05.04.2017 को प्राप्त हुआ । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि अनुभाग अधिकारी (एम. एंड आर) द्वारा तीस दिन की निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी कोई सूचना नहीं दी है । संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता का दिनांक 25.10.2016 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि 09.11.2016 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराइज हुआ था दिनांक 11.11.2016 को श्री जीवन चंद्रा को ऑनलाइन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ट्रांसफर किया गया तथा अपीलकर्ता को उनके आवेदन को ट्रासफर किए जाने की सूचना 17.11.2016 को दी गई एवं श्री जीवन चंद्रा द्वारा दिनांक 21.12.2016 को सूचना प्रदान की गई । अत: श्री जीवन चंद्रा, अनुभाग अधिकारी (एम.एंड आर.) व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि आर.टी.आई. के संबंध में सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर ही उपलब्ध करवा दी जाए । अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में द्वितीय अपील एवं शिकायतें प्राप्त होती है, इस स्थिति में सभी अपीलों/शिकायतों की प्रतिलिपि उपलब्ध करवा पाना या उनका निरीक्षण करवा पाना संभव नहीं है । अपीलकर्ता यदि किसी विशेष अपील/शिकायत की प्रतिलिपि चाहते हैं या उनका निरीक्षण करना चाहते हैं तो अपील/शिकायत सं. का उल्लेख करते हुए इसके लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं । साथ ही यह भी अवगत करवाया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के सभी निर्णय/आदेश आयोग की वेबसाईट wwww.cic.gov.in पर अपलोड कर दिए जाते हैं, वहाँ से आदेश की प्रति प्राप्त किया जा सकता है । केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सभी ~~अपीलों/शिकायतों का निपटारा~~ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के आधार पर ही किया जाता है इसके लिए केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अलग से कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए हैं ।

CIC RECEIVED
12 APR 2017
Initials:

---2/-

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री जीवन चंद्रा, अनुभाग अधिकारी (एम.एंड आर.) व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।